

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-14015/02/2008-अ.भा.से.(1)-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2007-क और 2008 हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग (यूटी प्रखंड) राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक, परीवीक्षा पर नियुक्त करती हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग(यूटी प्रखंड) में उनका आबंटन करती हैं :-


चयन सूची 2007-क

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	वी.सी.पाण्डेय
2.	राजेश सोमाल
3.	के.जे.आर.बर्मन

2. श्री वी.सी.पाण्डेय की नियुक्ति माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खण्डपीठ के समक्ष ओए सं. 724/2011 के परिणाम के अध्याधीन है।

चयन सूची 2008

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	के.के.जिंदल


(एस.एस.शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

फरीदाबाद (हरियाणा)।